न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

धारा 144 द0प्र0सं0

वाद संख्या– 63/17

राज कुमार यादव .... प्रथम पक्ष

बनाम्

संतोष यादव उर्फ बुटन वगै0 .... द्वितीय पक्ष

आदेश

अभिलेख दिनांक 24.8.17 को आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद अंचल अधिकारी, बिरनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम पक्ष के राज कुमार यादव बनाम् द्वितीय पक्ष के संतोष यादव उर्फ बुटन वगै0 को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग किया गया। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न इस प्रकार है :–

मौजा– बेलाटांड, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह अंतर्गत –
खाता नं0 02, खेसरा नं0– 196, रकवा 02 एकड़ 20 डी0 के मद्ये 61 डी0, चौहद्दी उ0– सरकारी रास्ता, द0– द्वारिका यादव, पू0– नुनमन भगत, प0– नुनमन भग रामेश्वर यादव।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व अंचल अधिकारी, बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है। निर्धारित अवधि के दौरान कोई अप्रिय घटना अथवा शांति भंग नहीं हुई, उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.10.05 12:31:33 +05:30
Location: 192.168.43.238